न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 141/2021 दायर दिनाँक 12.07.2021

वादी

1. रामपाल पुत्र मोटाराम जाति गुर्जर निवासी बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र गंगाराम
2. अमरराम पुत्र गंगाराम
3. सुखदेव पुत्र गंगाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी।
2. श्री हरफुल राव वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 03

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 06.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण ग्राम बांठडी के निवासी है तथा वादी की खातेदारी का मौजा सरहद बांठडी में खसरा सं0 275 रकबा 0.12 हैक्टयर व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 का खेत खसरा सं0 277 रकबा 0.04 हैक्टयर व खसरा सं0 278 रकबा 0.66 हैक्टयर अवस्थित है।

राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त सेटलमेन्ट प्रक्रिया वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के खेत के उत्तर दिशा की अनुसूची "अ" में वर्णित अनुसार रास्ता मार्क ए बी सी तरमीम किया गया तथा इस रास्ता का मार्क ए से बी वादी की भूमि में से तथा मार्क बी से सी प्रतिवादीगण की भूमि में से कायम किया गया है। जो कि राजस्व ट्रेस नक्शे से भी प्रमाणित है। उक्त रास्ता तरमीम में लगी भूमि को वादी के खेत की सीमा मार्क ए से बी तक रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि वादी की भूमि खेत खसरा सं0 275 में से कम की जानी चाहिए थी तथा प्रतिवादीगण के खेत की सीमा में लगे रास्ता मार्क बी से सी तक रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 तक के खेत खसरा सं0 278, 278 में से कम की गई। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी सं0 01 से 03 तक से सांठ गांठ करके सम्पूर्ण रास्ता मार्क ए, बी, सी में लगने वाली भूमि को वादी के खेत खसरा सं0 275 रकबा 0.12 हैक्टयर को रकबा 0.08 हैक्टयर का इन्द्राज गलत रूप से सांठ गांठ करके किया है। जबकि वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 तक के खेत खसरा सं0 277 व 278 में से भी 0.04 हैक्टयर कम की जाकर इस बाबत रास्ता भूमि 274 में जोडा जाने चाहिए था।

नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार दर्ज रास्ता मार्क ए बी सी रकबा 0.04 हैक्टयर केवल अकेले वादी के खेत खसरा नं0 275 में से कम किया जाकर गै0मु0 रास्ता 274 रकबा 0.04 में दर्ज कर दिया गया है। जिसकी जानकारी हाल के समय खतौनियों की प्रति प्राप्त करने पर वादी को हुई तो उसने प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 से गलत इन्द्राज दुरूस्त करने का कहा तथा प्रतिवादी सं0 04 के कार्यालय में जाकर कहा तो प्रतिवादी सं0 04 ने कहा कि आप न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर ही ऐसा गलत इन्द्राज को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

सुधरवा सकते हो अन्यथा मैं आपकों उक्त भूमि से बेदखल कर दुंगा। जिस पर वादी ने अन्य प्रतिवादी सं0 01 ता 03 से सम्पर्क किया तो उन्होनें भी उक्त इन्द्राज में सुधार करवाने के लिए लालच में आकर मना कर दिया इसलिए वादी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण यह वाद पत्र अनुसूची "अ" में दर्ज रास्ता भूमि खसरा सं0 274 रकबा 0.04 हैक्टयर मार्क ए से बी भूमि तक 0.04 हैक्टयर वादी की भूमि खसरा सं0 275 में से रकबा 0.04 हैक्टयर की जगह रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि कम करने तथा मार्क बी से सी रास्ता भूमि रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं0 01 से 03 तक की भूमि में से कम करने हेतु घोषणा की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत लाजमी होने से श्रीमान के समक्ष पेश है।

प्रार्थना वादी है कि मौजा बांठडी में स्थित वाद पत्र में दर्ज रास्ता भूमि खसरा सं0 274 रकबा 0.04 हैक्टयर मार्क बी से सी भूमि तक 0.04 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं0 01 से 03 तक की भूमि खसरा सं0 277 व 278 में से कम करने की घोषणा की जाकर रास्ते की भूमि में जोडी जावें तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 03 ने जवाब पेश किया। वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 03 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के समस्त तथ्य अस्वीकार है। वादी ने वाद पत्र के साथ में अनुसूची "अ" गलत रूप से पेश की है तथा वादी ने अनुसूची "अ" में अपने खेत खसरा नम्बर 275 व प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 तक के खेत खसरा सं0 276 को गलत प्रकार से दर्शित किया है। प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 तक की भूमि के खेत खसरा नं0 276 बताया गया है वो खेत रास्ते की भूमि के समीप है ही नहीं। सही स्थिति जवाब दावा के साथ प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "ब" के अनुसार है। इसलिए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 तक खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना कि रिपोर्ट अनुसार वाद में वर्णित भूमि नवीन भू–प्रबन्ध पूर्व वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि थी जिसका रेकर्ड में व मौके पर बंटवारा होने पर वादी व प्रतिवादीगण दोनों के बराबर–बराबर भूमि आयी थी जिसमें कोई रास्ता नहीं था। नवीन भू–प्रबन्ध द्वारा जारी नक्शें में केवल वादी की भूमि में से रकबा कम करते हुए अनुसूची "अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के उत्तर में ए से सी तक रास्ता कायम कर दिया गया। चुंकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शें में दर्शाया गया रास्ता वादी व प्रतिवादीगण दोनों की भूमि के समान रूप से लगता है और मौके पर दोनों के समान रूप से काम आ रहा है। इसलिए रास्ते की भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 दोनों के हिस्से की भूमि में से रेकॉर्ड में काटी जानी चाहिए थी। अतः नक्शें में दर्ज रास्ते की लम्बाई व चौडाई के अनुसार 0.04 हैक्टयर के स्थान पर 0.08 हैक्टयर होनी चाहिए जो वादी व प्रतिवादी सं0 01 से 03 दोनों की भूमि में से समान रूप से काटी जानी चाहिए और उसी अनुसार नक्शा व रेकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार नक्शें [illegible] डाई के अनुसार 0.04 हैक्टयर के स्थान पर 0.08 हैक्टयर [illegible] जो वादी व प्रतिवादी सं0 01 से 03 दोनों की [illegible] और उसी अनुसार नक्शा व रेकॉर्ड [illegible]

पत्रावली पर उ[illegible] किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवे[illegible] वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाद में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची ''अ'' में दर्ज रास्ता वाकै ग्राम बांठडी के खसरा सं0 274 रकबा 0.04 हैक्टयर मार्क बी से सी भूमि तक 0.04 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं0 01 से 03 तक की भूमि खसरा सं0 277 व 278 में से कम कर रास्ता की घोषणा की जाती है। संशोधित नजरी नक्शा अनुसूचि ''अ'' निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **06.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 141/2021 दायर दिनाँक 12.07.2021

वादी

1. रामपाल पुत्र मोटाराम जाति गुर्जर निवासी बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र गंगाराम
2. अमराराम पुत्र गंगाराम
3. सुखदेव पुत्र गंगाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 06.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी व श्री हरफुल राव वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 03 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाद में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" में दर्ज रास्ता वाकै ग्राम बांठडी के खसरा सं0 274 रकबा 0.04 हैक्टयर मार्क बी से सी भूमि तक 0.04 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं0 01 से 03 तक की भूमि खसरा सं0 277 व 278 में से कम कर रास्ता की घोषणा की जाती है। संशोधित नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा		
मिजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:33 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा ... का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner